Form No. III
फर्दअहकाम

(नियम 26)

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर** मुकाम **चित्तौड़गढ**

बंशीलाल **बनाम** **कृष्णचंद वगैराह**

कार्यवाही अन्तर्गत :– **धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

किस्म मुकदमा **प्रार्थना पत्र (रे.वि.)** नं0 **026** सन् **2024**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.05.2024	प्रार्थना–पत्र बाद जांच पेश हुआ। अधिवक्ता प्रार्थी **मुकुट बिहारी दाधीच** हाजिर। हमने जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थीगण की और से एक प्रार्थना–पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण के अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेंगू में विचाराधीन प्रकरण संख्या 085/2009 (रे0वा0) अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत् प्रस्तुत किया गया है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस एडमिशन में प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थीगण प्रतिवादी संख्या 1/2, 1/3 व 1/5 है एवं स्थानीय बेंगू बार एसोशिएन द्वारा दिनांक 12.06.2023 को प्रस्ताव पारित किया कर किसी भी अधिवक्ता के विरूद्ध प्रकरण में बेंगू बार की अधिवक्ता पैरवी पर भी नहीं करने के संबंध में प्रस्ताव पारित कर दिया गया जिससे बेंग बार का कोई अधिवक्ता प्रार्थीगण के प्रकरण में पैरवी करने हेतु तैयार नहीं है। जिससे प्रार्थी के हित प्रभावि होकर प्रार्थी के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात होता है। जिससे प्रार्थी प्रकरण को बेंगू न्याय क्षेत्र से अन्य न्याय क्षेत्र में हस्तान्तरित करने का अधिकारी है एवं विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बेंगू बार एसोसिएशन के प्रस्ताव दिनांक 12.06.2023 का अवलोकन कराया। हमने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ग्राह्यता के बिन्दु चिंतन–मनन किया। हमने विधि का अवलोकन किया। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 54 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 235 के तहत अधीनस्थ न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल (स्थानान्तरित) किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये एवं इस बाबत् इस न्यायालय को उपखण्ड अधिकारी बेंगू में विचाराधीन प्रकरण को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल (स्थानान्तरित) किये जाने बाबत् क्षेत्राधिकारिता प्राप्त है। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने की आवश्यकता महसूस होती है, बल्कि प्रकरणों को स्थानान्तरण करने से उसकी वरियता समाप्त होकर प्रकरण में निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब ही होगा, जबकि हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान के विवाद को लगभग 15 वर्ष व्यतीत हो चुके है, इसके साथ	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	ही जहां तक स्थानीय बार एसोसिएशन के प्रस्ताव के आधार पर प्रकरण को दीगर न्यायायल में मुन्तकिल(स्थानान्तरित) किये जाने का प्रश्न है। यह प्रकरण मुनतकिल किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। प्रार्थीगण विधिक सहायता हेतु न्यायालय से विधि अनुसार निवेदन कर सकता है। किन्तु प्रार्थीगण द्वारा दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने बाबत् आवेदन इस न्यायालय प्रस्तुत किया जाना जाहिर होता है जिस से प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब हो सकता है, ऐसी स्थिति प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण स्थानान्तरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र एडमिशन स्तर पर बलहीन होकर एडमिट किये जान योग्य नहीं है जिससे प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र का निस्तारण एडमिशन स्तर खारीज किये जाने योग्य है। पत्रावली को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आदेशानुसार अभिलेख में अंकन किया जावें। अहकाम की प्रति पोर्टल पर अपलोड की जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें। -S/d- (आलोक रंजन) जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ 21.05.2024 सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	